बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना

लक्षित जन वितरण प्रणाली के लिए
आदर्श नागरिक अधिकार पत्र

विषय सूची

	विषय/प्रस्तावना	
अध्याय 1	समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम को सुप्रभावी बनाना	
अध्याय 2	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा लीकेज/विचलन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था ।	
अध्याय 3	सूचना का अधिकार अधिनियम तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	

प्रस्तावना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आबादी के लक्षित जन समूह को अनुदानित दर पर प्रति माह खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करता है । यह चार्टर उपभोक्ताओं और व्यापक पैमाने पर जनता के लाभ के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता की घोषणा है । विभाग इस घोषणा के माध्यम किसान भाईयों को आश्वस्त करता है कि वे अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने क्षेत्र में स्थापित संबंधित क्रय केन्द्रों से प्राप्त कर सकेगें । प्रस्तुत पुस्तिका के माध्यम से नागरिक अधिकारों का प्रतिपादन किया जा रहा है जिसके जरिये हर नागरिक आपूर्ति तंत्र के विभिन्न माध्यमों से यह सूचना प्राप्त कर सकेगा कि उसे कितनी मात्रा में एवं किस गुणवत्ता का खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा आपूर्ति किया जाना अनुमान्य है । इस पुस्तिका में नागरिको के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जन वितरण प्रणाली व्यवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की विधि भी वर्णित है । आशा की जाती है कि प्रस्तुत पुस्तिका के प्रकाशन के उपरांत सुयोग्य नागरिक लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के माध्यम से अपनी अनुमान्यता के अनुसार निर्बाध ढंग से प्रति माह राशन-किरासन प्राप्त कर सकेंगे एवं सम्पूर्ण लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था पर सरकार और अधिक प्रभावकारी नियंत्रण कायम करने में सक्षम हो सकेगी ।

अध्याय- 1

<u>लक्षित जन वितरण प्रणाली :-</u>

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के आलोक में निर्धारित मानक के अनुसार पहचान किए गये पात्र गृहस्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाता है । इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यान्न का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है जिसे राज्य स्तर से सभी जिलों को प्रतिवेदित गृहस्थियों/व्यक्तियों की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है । इस आवंटन के आलोक में जिला स्तर से प्रखंडों को तथा प्रखंड स्तर पर जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को खाद्यान्न का मासिक आवंटन किया जाता है ।

जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का मूल्य राज्य खाद्य निगम में जमा कर खाद्यान्न का उठाव किया जाता है एवं उठाव किये गये खाद्यान्न का उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है ।

राज्य खाद्य निगम खाद्यान्न उठाव हेतु राज्य एजेंसी के रूप में प्राधिकृत है तथा उक्त निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाव कर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आपूर्ति किया जाता है ।

इसी प्रकार भारतीय तेल कंपनियों द्वारा नियुक्त थोक किरासन तेल विक्रेताओं को किरासन तेल का मूल्य जमा कर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा तेल का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मात्रा एवं दर पर वितरण किया जाता है ।

लक्षित जन वितरण प्रणाली की दुकान आपूर्ति व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है । इसके नियमन एवं समुचित पर्यवेक्षण के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड आपूर्ति/आपूर्ति निरीक्षक, अनुमंडल स्तर अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक जिला आूपर्ति पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी अधिकृत है ।

<u>राशन कार्ड :-</u>

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः दो खाद्यान्न आधारित योजनाओं का संचालन राज्य में किया जाता है:-

1. अन्त्योदय श्रेणी
2. पूर्विकताप्राप्त श्रेणी

पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत चिहिन्त गृहस्थी को स्लेटी रंग का राशन कार्ड दिया जाता है ।

अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत चिहिन्त गृहस्थी को पीला रंग का राशन कार्ड दिया/उपलब्ध कराया जाता है ।

राशन कार्ड जारी करना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्वेक्षित परिवार को कार्ड जारी किया जायेगा । सभी श्रेणी के परिवारों के लिए नया कार्ड हेतु दो रू0 जमा करना होगा ।

सुयोग्य व्यक्तियों को उनकी पात्रता के अनुसार पारिवारिक राशन कार्ड निर्गत/रद्द करने तथा उसमें किसी प्रकार के सुधार के संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्राधिकृत पदाधिकारी एवं समय-सीमा तथा समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य नहीं होने की स्थिति में अपील करने का प्रावधान निम्न प्रकार किया गया है ।

अध्याय-2

क्र0	विषय	प्राधिकृत पदाधिकारी	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ निष्पादित कार्य की समयावधि	द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	नया राशन कार्ड निर्गत करने/रद्द करने/राशन कार्डो में कोई नाम जोड़ने या काटने के संबंध में	(1) ग्रामीण क्षेत्र-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी	30 दिन	जिला पदाधिकारी
		(2) नगर निकाय-अनुमंडल पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी	30 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त
		(3) अनुभाजन क्षेत्र-विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना	जिला पदाधिकारी	30 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त

<u>अनुमान्यता एवं उपभोक्ता मूल्य दर :–</u>

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में आच्छादित लाभुक परिवारों को देय अनुमान्यता एवं मूल्य दर निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	योजना	देय मात्रा (प्रति परिवार)		उपभोक्ता मूल्य/दर	
		गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1	पूर्विकताप्राप्त श्रेणी	प्रति व्यक्ति 2 किलाग्राम की दर से	प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम की दर से	2/-रू0 किलोग्राम	3/-रू0 किलोग्राम
2.	अन्त्योदय श्रेणी	14 कि0ग्रा0	21 कि0ग्रा0	2/-रू0 किलोग्राम	3/-रू0 किलोग्राम
3.	अन्नपूर्णा योजना	6 कि0ग्रा0	4 कि0ग्रा0	मुफ्त	मुफ्त

पी0डी0एस0 किरासन तेलः-

क्र0सं0	क्षेत्र	देय मात्रा (प्रति परिवार)	उपभोक्ता मूल्य/दर
1	ग्रामीण	2.75 लीटर	किरासन तेल के उपभोक्ता मूल्य का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाता है ।
2	शहरी	2.25 लीटर	

राशन कार्ड पर परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के नाम अंकित रहते है तथा उनका फोटो चिपकाया जाता है । पात्र गृहस्थी में राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी की मुखिया महिला होगी । जहॉ किसी गृहस्थी में किसी साथ कोई स्त्री अथवा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहॉ गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे राशन कोर्डो के लिए पुरूष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी ।

परिवारों की पहचान :–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में बिहार राज्य के पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाना है । अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के परिवारों में पात्र परिवारों के चयन करने हेतु राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान की गई है जिसके आलोक में विभाग द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से पात्र परिवारों की पहचान हेतु निर्धारित मानक पर दिनांक 26.12.2013 तक आपति एवं सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं रखने का निर्णय लिया गया हैः-

(क) ग्रामीण क्षेत्र :–

I. मोटर चालित तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/
Households owning motorized three/four wheelers
अथवा/OR

II. मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण/
Households owning mechanized three/four wheeler agricultural equipments .
अथवा/OR

III. सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य का परिवार*/
Households with any member as Government Employee*
अथवा/OR

IV. सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार/

Households with non-agricultural enterprises registered with Government

अथवा/OR

V. परिवार का कोई सदस्य 10,000/- रूपये प्रति माह से अधिक कमाता है/
Households with any member earning more than Rs. 10,000 P.M .

अथवा/OR

VI. आयकर अदा करते है/
Households paying income tax

अथवा/OR

VII. व्यवसायिक कर अदा करते है/
Households paying professional tax

अथवा/OR

VIII. सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे/
Households with three or more rooms with pucca walls and pucca roof.

अथवा/OR

IX कम से कम एक सिचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है /
Households owning 2.5 acres or more irrigated land with at least one irrigation equipment

अथवा/OR

X. दो अथवा उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है/
Households owning 5 acres or more land irrigated for two or more crop seasons

अथवा/OR

XI. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि है/
Households owning 7.5 acres or more land with at least one irrigation equipment.

(ख) **<u>शहरी क्षेत्र</u>**

I. तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान जो धारक के स्वामित्व में हो/
Households owning concrete roof three rooms (Self owned) and more

अथवा OR

II. निम्नांकित सभी सामग्री/सम्पति/
Households owning following assets :

a. दो पहिया वाहन/ Two wheeler
b. रेफ्रीजरेटर/ Refrigerator
c. वाशिंग मशीन/ Washing Machine

अथवा OR

III. चार पहिया वाहन या एयर कंडीशनर/
Households owning four wheeler or AC

2. शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों की श्रेणी में शामिल किये जाने पर निर्णय लिया गया है :–

a. भिखारी / कूड़ा चुननेवाला / Beggar/Rag Picker
b. घरेलू श्रमिक Domestic Workers
c. फूटपाथी दुकानदार / मोची / फेरीवाला / गली–मुहल्ले में अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाला / Street vendor/cobbler/hawker/other service provider working on street
d. निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक / नलसाज / राजमिस्त्री / श्रमिक / पेंटर / वेल्डर / सुरक्षा प्रहरी / कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक / Construction worker / plumber / mason /labour/ painter/welder /security guard/coolie and other head load worker
e. झाड़ूकश / सफाईकर्मी / माली / Sweeper/sanitation worker/mali
f. घरेलू कार्य में संलग्न श्रमिक / शिल्पकार / हस्तशिल्प कर्मी / दर्जी / Home based worker/artisan/handicraft workers/tailor
g. परिवहन कर्मी / चालक / परिचालक / खलासी / रिक्शाचालक / Transport worker/driver/conductor/helper to drivers and counductors/ rickshaw puller
h. दुकान कर्मी / सहायक / अनुसेवक (छोटे स्थापन के लिए) / खलासी / डाक वितरण सहायक / परिचर / बैरा / Shop worker/assistant/peon in small establishment/helper/delivery assistant / attendant/waiter
i. बिजली मिस्त्री / मैकेनिक / एसेम्बलर / मरम्मतकर्त्ता / Electrician/mechanic/assembler/repair worker
j. धोबी / चौकीदार / Washer man/ chowkidar

3. शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आच्छादित होने हेतु योग्य परिवारों को निम्नलिखित स्व–घोषणाएँ करनी होंगी :–

i. परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न हो * / No household member is in a Government job*
ii. परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई गैर कृषि उद्यम सरकार के अधीन निबंधित न हो / No household member has a Non-Agriculture enterprise registered with the Government
iii. परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो / No household member is paying income tax
iv. परिवार का कोई सदस्य पेशाकरदाता न हो / No household is paying professional tax
v. परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह रू0 20,000 / – से अधिक आय अर्जित नहीं करता हो / No household member is earning an income more than Rs 20,000 per month

'सरकारी सेवा से तात्पर्य है - ''केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी''

निगरानी एवं अनुश्रवण

सतर्कता समितिः- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति को छोड़कर शेष सभी निगरानी/अनुश्रवण समिति को निरसित करते हुए राज्य में निम्नांकित सतर्कता समितियें (Vigilance Committes) का गठन किया गया है:-

राज्य स्तरीय सतर्कता समिति

(i)	मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग-		अध्यक्ष
(ii)	राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष तथा सभी सदस्य	-	सदस्य
(iii)	मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(iv)	मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	सदस्य
(v)	मंत्री, पंचायती राज विभाग	-	सदस्य
(vi)	मंत्री, सहकारिता विभाग	-	सदस्य
(vii)	मंत्री, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	-	सदस्य
(viii)	मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	-	सदस्य
(ix)	मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-	सदस्य
(x)	मंत्री, समाज कल्याण विभाग	-	सदस्य
(xi)	सांसदगण - 05 (पाँच) (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	-	सदस्य
(xii)	विधायक/विधान पार्षद- 10 (दस) (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	-	सदस्य
(xiii)	प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	सदस्य सचिव
(xiv)	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	-	सदस्य
(xv)	प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	सदस्य
(xvi)	प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	-	सदस्य
(xvii)	प्रधान सचिव/सचिव,	-	सदस्य

	सहकारिता विभाग		
(xviii)	प्रधान सचिव/सचिव अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग	-	सदस्य
(xix)	प्रधान सचिव/सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	-	सदस्य
(xx)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत- 10 (दस प्रतिनिधि) जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्त,अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य हों ।	-	सदस्य
(xxi)	जन वितरण प्रणाली विक्रेता संगठन के- 02 (दो) प्रतिनिधि	-	सदस्य

<u>जिला स्तरीय सतर्कता समिति</u>

(i)	जिला के प्रभारी मंत्री	-	अध्यक्ष
(ii)	जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य	-	सदस्य
(iii)	जिला परिषद् के अध्यक्ष	-	सदस्य
(iv)	जिला पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव
(v)	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(vi)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	-	सदस्य
(vii)	जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी	-	सदस्य
(viii)	जिला परिषद् के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य	-	सदस्य
(ix)	जिला अन्तर्गत सभी नगर निकाय के अध्यक्ष ।	-	सदस्य
(x)	जिला के सभी क्षेत्रीय विधायक, विधान पार्षद् तथा सांसद अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक-एक प्रतिनिधि ।	-	सदस्य
(xi)	तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(xii)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	-	सदस्य

01 (एक) निःशक्त व्यक्ति

(xiii) जन वितरण प्रणाली - सदस्य
विक्रेता संगठन के 02 (दो) प्रतिनिधि ।

<u>प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति</u>

(i) प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन - अध्यक्ष
समिति के अध्यक्ष

(ii) प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन - सदस्य
समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य

(iii) प्रखंड विकास पदाधिकारी - सदस्य सचिव

(iv) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य

(v) नगर परिषद्/नगर पंचायत के अध्यक्ष - सदस्य

(vi) प्रखंड के प्रमुख एवं उप प्रमुख - सदस्य
तथा सभी पंचायत समिति के सदस्य

(vii) क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद अथवा - सदस्य
द्वारा उनके द्वारा मनोनीत एक-एक
प्रतिनिधि

(viii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत - सदस्य
01 (एक) निःशक्त व्यक्ति

(viii) जन वितरण प्रणाली विक्रेता - सदस्य
संगठन के 02 (दो) प्रतिनिधि ।

<u>शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति</u>

(i) नगर निगम/नगर परिषद्/ - संयोजक
नगर पंचायत के वार्ड पार्षद

(ii) वार्ड के निकटतम वोटो से - सदस्य
पराजित वार्ड पार्षद का उम्मीदवार

(iii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत - सदस्य
स्थानीय 01 (एक) प्रतिनिधि जो
निःशक्त व्यक्ति हो

<u>पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति</u>

(i) पंचायत के मुखिया - संयोजक

(ii) पंचायत के सरपंच - सदस्य

(iii) पंचायत के निकटतम वोटो से
पराजित मुखिया के उम्मीदवार - सदस्य

(iv) पंचायत के निकटतम वोटो से
पराजित सरपंच के उम्मीदवार - सदस्य

(v) सभी वार्ड सदस्य - सदस्य
(vi) सभी पंच - सदस्य
(vii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत स्थानीय 01 (एक) प्रतिनिधि जो निःशक्त व्यक्ति हो - सदस्य
(viii) मुखिया की अनुपस्थिति में, पंचायत के उप मुखिया संयोजक के रूप में कार्य करेंगे । - सदस्य

खाद्यान्न की गुणवत्ताः-

उपभोक्ताओं को अच्छी गणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति किया जाना है । इसके लिए यह व्यवस्था की गयी है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाव करते समय राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से खाद्यान्न के गुणवत्ता की जाँच की जायेगी तथा अच्छे पाये जाने की स्थिति में ही राज्य खाद्य निगम द्वारा इसका उठाव कर जन वितरण प्रणाली दुकानों को आपूर्ति किया जायेगा । उठाव करने के पहले उठाव किये जाने वाले खाद्यान्न का संयुक्त नमूना लेकर उसे सीलबंद कर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/कार्यालय में रखा जायेगा । इसी प्रकार राज्य सरकार से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न का भी संयुक्त नमूना लेकर उसे सीलबंद किया जाता है और इसे राज्य खाद्य निगम के कार्यालय/गोदाम में रखा जाता है ।

जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्तिः-

अनुज्ञापन :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश- 2011 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है । जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को अनुज्ञापन पदाधिकारी घोषित किया गया है जो जिला स्तर पर गठित जिला चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में नये दुकानों की अनुज्ञप्ति जारी करते है ।

चयन समिति की संरचनाः-

1. जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष
2. अनुभाजन क्षेत्र के लिए विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना जिला के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) तथा शेष सभी जिलों के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सचिव
3. संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी - सदस्य
4. जिला में पदस्थापित अनुसूचित जाति/जन-जाति के एक पदाधिकारी - सदस्य
5. जिला सहकारिता पदाधिकारी - सदस्य

जन वितरण प्रणाली दुकानदार का दायित्वः-

ससमय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को सम्यक निर्वहन ज0वि0प्र0 दुकानदार करेगा । जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दुकान के बाहर सूचना पर प्रदर्शित करेगा । जिस पर दुकान से संबंद्व विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संबंद्व उपभोक्ताओं लाभूकों की संख्या, उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न किरासन तेल एवं अन्य सामग्री की मात्रा, दर एवं प्रति दिन भंडार की उपलब्धता को एवं दुकान की कार्यविधि को दर्शाया जायेगा । प्रत्येक दुकान में एक शिकायत पुस्त का संधारण करेगा जो उपभोक्ताओं के मांगे जाने पर शिकायत दर्ज करने के लिए दुकानदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

अधिप्राप्ति

राज्य के किसानों को उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिये धान/चावल/गेहूँ के अधिप्राप्ति का कार्यक्रम चलाया जाता है । इसके अन्तर्गत राज्य में भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त बिहार राज्य खाद्य निगम, बिस्कोमान, नेफेड एवं पैक्स द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान/गेहूँ क्रय किया जाता है । इन अभिकरणों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों पर किसान अपने उपज के संबंध में समुचित प्रमाण देकर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान क्रय केन्द्र प्रभारी से प्राप्त कर सकते हैं ।

किसान को अपना उत्पाद बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर वे संबंधित अभिकरण के स्थानीय पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/विभाग में स्थापित नियंत्रण कक्ष दूरभाष- 0612 2210902 पर सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं ।

अध्याय - 3

सूचना का अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा आवेदक को उपलब्ध करायेगा ।

जन वितरण प्रणाली दुकानदार उठाव एवं वितरण से संबंधित आवश्यक सूचना निगरानी समिति के संयोजन को ससमय उपलब्ध करायेगें ।

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं सहायक लोक सूचना पदाधिकारी निम्न रूप में नामित किये जाते हैः-

क्र0	यूनिट	स्तर	लोक सूचना पदाधिकारी में नामित पदनाम	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी में नामित पदनाम
1	1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना	उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	अवर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2	9	प्रमंडल	उप निदेशक, खाद्य	प्रधान सहायक, उप निदेशक, खाद्य कार्यालय
3	37	जिला	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय	पणन पदा0/प्र0आ0पदा0/प्रधान सहायक, जिला आपूर्ति कार्यालय
4	1	जिला पटना (ग्रामीण)	अपर समाहर्त्ता, आपूर्ति, पटना अपर समाहर्त्ता, कार्यालय, पटना	पणन पदा0/प्रधान सहायक, अपर समाहर्ता, आपूर्ति कार्यालय
5	1	पटना अनुभाजन	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना, अनुभाजन कार्यालय	सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना अनुभाजन
6	101	अनुमंडल	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/	प्रधान सहायक, अनुमंडल कार्यालय
7	534	प्रखंड	पणन पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदा0/आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय	प्रभारी सहायक (आपूर्ति) सह प्रधान सहायक, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय
8	1	राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण	निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण	लेखापाल, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण
9	1	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	प्रमुख प्रशासन	उप प्रमुख प्रशासन
10	38	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जिला ईकाई)	जिला प्रबंधक	----------

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (यथासंशोधित) के तहत राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए सभी 38 जिला मुख्यालयों में जिला उपभोक्ता फोरम कार्यरत हैं । जिला उपभोक्ता फोरमों के अतिरिक्त राज्य मुख्यालय में राज्य आयोग स्थापित किया गया है । इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार/ शिकायत दर्ज करने की परिस्थतियाँ/दावा पत्र दायर करने के लिए निर्धारित शुल्क एवं इस अधिनियम के तहत प्रावधानित अपीलीय प्राधिकार के संबंध में विवरण निम्नवत् है :-

नागरिकों के उपभोक्ता अधिकार

1. सुरक्षा का अधिकार 2. सूचना प्राप्ति का अधिकार 3. शिकायत दर्ज करने का अधिकार 4. क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार 5. चयन का अधिकार 6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ।

<u>अधिनियम के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है</u> ।

- यदि व्यापारी द्वारा व्यापार के अनुचित/प्रतिबंधित तरीके अपनाने के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई हो ।
- यदि खरीदी गयी वस्तुओं में कोई दोष हो ।
- यदि भाड़े पर ली गयी /प्राप्त की गयी सेवाएँ किसी भी रूप में दोषपूण्र हो ।
- यदि वस्तुओं पर प्रदर्शित या उस समय लागू किसी कानून के तहत या उसके द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगा गया हो ।
- यदि तत्समय किसी कानून का उलंघन कर ऐसी वस्तुएँ बिक्री के लिए प्रस्तुत की जा रही हो, जिसका उपयोग जीवन तथा सुरक्षा के लिए खतरनाक हो ।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (यथासंशोधित) के तहत जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य आयोग में अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत त्वरित वाद निष्पादन की व्यवस्था है । इन न्यायालयों में दोषपूण्र वस्तु/सेवा के एवज में क्षतिपूर्ति दावा पेश करने का प्रावधान है । इस प्रकार के दावा पेश करने के लिए न्यायालय शुल्क की राशि अत्यंत कम है जो निम्न प्रकार है :-

<u>जिला उपभोक्ता फोरम</u>

क्र0	वस्तु/सेवा का कुल मूल्य एवं क्षतिपूर्ति का दावा पत्र	शुल्क
1.	एक लाख रू0 तक के दावा पेश करने के लिए (गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय के परिवारों के लिए)	शून्य
2.	एक लाख रू0 तक के दावा पेश करने के लिए (गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय परिवारों से भिन्न दावाकर्त्ता के लिए)	100/- रू0
3.	एक लाख, रूपये से पाँच लाख रू0 तक	200/- रू0
4.	पाँच लाख, एक रू0 से दस लाख रू0 तक	400/- रू0
5.	दस लाख, एक रू0 से बीस लाख रू0 तक	500/- रू0

<u>राज्य आयोग</u>

क्र0	वस्तु/सेवा का कुल मूल्य एवं क्षतिपूर्ति का दावा पत्र	शुल्क
1.	बीस लाख, एक रू0 से पचास लाख रू0 तक	2000/-रू0
2.	पचास लाख, एक रू0 से एक करोड़ रू0 तक	4000/-रू0

<u>राष्ट्रीय आयोग</u>

क्र0	वस्तु/सेवा का कुल मूल्य एवं क्षतिपूर्ति का दावा पत्र	शुल्क
1.	एक करोड़, एक रू0 से अधिक तक के लिए	5000/-रू0

नोट :- जिला उपभोक्ता फोरम निर्णय के विरूद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील दाखिल करने की व्यवस्था है । राज्य आयोग के निण्रय के विरूद्ध राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर करने की व्यवस्था है । राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की व्यवस्था है ।

विभाग के पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या

क्र0	नाम	पदनाम	दूरभाष सं0
1	2	3	4
1	श्री बी0 प्रधान	प्रधान सचिव	0612-2217799
2	श्री मोहन प्रसाद	निदेशक	9430238477
3	श्री राम चन्द्र मल्लिक	उप सचिव	9835003360
4	श्री विधुभूषण चौधरी	उप सचिव	9955544047
5	श्री राम विजय शर्मा	प्रधान आप्त सचिव	9934763639
6	मो0 खुर्शीद आलम खाँ	विशेष कार्य पदाधिकारी	9470243951
7	श्रीमती अंजुला प्रसाद	विशेष कार्य पदाधिकारी	9431078789
8	श्रीमती संगीता सिंह	विशेष कार्य पदाधिकारी	9430432350
9	श्रीमती प्रतिभा सिन्हा	विशेष कार्य पदाधिकारी	9955820733

अध्याय- 2

क्र0	विषय	प्राधिकृत पदाधिकारी	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	नया राशन कार्ड निर्गत करने/राशन कार्ड में नाम जोड़ना एवं हटना/रद्द करना	(क) **अनुमंडल पदाधिकारी** (पटना अनुभाजन क्षेत्र को छोड़कर) ---------- (ख) **विशिष्ट पदाधिकरी अनुभाजन, पटना** (केवल पटना अनुभाजन क्षेत्र के लिए)	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमंडलय आयुक्त	15 कार्य दिवस